न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 220 / 2024

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र मलुराम जाति धानक साकिन गुडिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर
2. हनुमान पुत्र मलुराम जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र चेतराम जाति धानक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज.)
2. कृष्णा उर्फ जुंगा पत्नी नरेशकुमार जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
3. कालुराम पुत्र अमरसिंह जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
4. गौतम पुत्र नरेश जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर
5. धनीराम पुत्र वीरभान जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
6. दलीप पुत्र वीरभान जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
7. धापा पुत्री नरेश जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर
8. फुलीदेवी पत्नी अमरसिंह जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
9. बुधराम पुत्र अमरसिंह जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
10. माडुराम पुत्र अमरसिंह जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
11. राजेश उर्फ विनु पुत्र नरेशकुमार जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
12. रामकुमार पुत्र वीरभान जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
13. रामकिशन पुत्र चेतराम जाति धानक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर
14. रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम जाति नायक साकिन गुडिया तहसील नोहर।
15. विनोदकुमार पुत्र नरेश जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
16. विमला पत्नी साजन कुमार जाति नायक साकिन 14 जे.एस.एन. गुडिया तहसील नोहर।
17. संन्तोष पुत्री अमरसिंह जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
18. सुमन पुत्री नरेश जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर
20. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा दीपलाना तहसील नोहर
21. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर
22. आई.डी.बी.आई बैक शाखा चक सरदारपुरा नोहर तहसील नोहर।
23. स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
24. उप पंजियक रामगढ़ / नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**
3. श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक: 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस [illegible] जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान क[illegible]कारी अधिनियम 195[illegible] तहत इस आशय

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 25/25 की कुल 6.7640 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी क्रेतागण को बेचान करने पर आमादा है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 25/25 की कुल 6.7640 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री मांगेराम गोदारा उपस्थित व अप्रार्थी स0 14 की तरफ से अधिवक्ता श्री संतलाल तिवाड़ी उपस्थित शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 14 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी क्रेतागण को बेचान करने पर आमादा है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 व 14 ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी [illegible] केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा [illegible] पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभय[illegible] द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 25/25 की कुल 6.7640 हैक्ट भूमि मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 02.09.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:29 IST
Reason: SelfAttested